फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मोहन लाल पिता रूपलाल सालवी नि0 नारायण जी का बीड़ा, पो0 विजयपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 80/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.09.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांक—सूकाअ/31/2024/511 दिनांक 12.09.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी श्री मोहन लाल पिता श्री रूपलाल सालवी नि0 नारायण जी का बीड़ा मो—विजयपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा आवेदन पर चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 01 एवं 02 की सूचना कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक—आरटीआई—2005/375 दिनांक 05.06.2024 द्वारा प्रेषित की गई। तथा बिन्दु संख्या 03 तहसील कार्यालय देवगढ़ से संबंधित होने से तहसील कार्यालय देवगढ़ को प्रेषित किया गया। जिसकी सूचना तहसील कार्यालय के पत्र क्रमांक — सूकाअ/23/2024/107 दिनांक 11.09.2024 द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करायी गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ तथा बिन्दु संख्या 3 कि सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ द्वारा वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)